डीजी परिपत्र संख्या - 44 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जुलाई 20 ,2016

विषयः- जहरीली शराब पीने से घटित होने वाली दुःखद घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

कृपया विदित हों कि विगत दिनों कतिपय जनपदों में जहरीली शराब पीने से काफी संख्या में लोगों की मृत्यु जैसी दुःखद घटना घटित हुई है। इस प्रकार की घटनाओं से जहॉ एक ओर जनता में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर इससे गम्भीर कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की भी सम्भावना होती है।

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु अवैध शराब के निर्माण/व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पूर्व में भी पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर प्रभावी कार्यवाही हेतु मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नही किया जा रहा है, फलस्वरूप इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। आप सभी से पुनः अपेक्षा की जाती है कि विर्षाक्त मदिरा काण्डों के रोकथाम हेतु अवैध मदिरा के निर्माण/व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अपने निकट पर्यवेक्षण में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें :-

डीजी परिपत्र संख्या - 54/2013 दिनांक 27.09.2013
डीजी परिपत्र संख्या - 08/2015 दिनांक 25.01.2015
डीजी परिपत्र संख्या - 73/2015 दिनांक 02.11.2015
संख्या-डीजी-सात-एस-4(1)/2015 दि0 14.04.2015

- जनपदों के थानों में नियुक्त आरक्षीगणों को अपने बीट क्षेत्र में एवं हल्के के उप निरीक्षक को उनके हल्के के क्षेत्र में इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों तथा स्थानों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र कर उनका चिन्हीकरण करने हेतु उत्तरदायी बनाया जाये। सभी थाना प्रभारी इन चिन्हित व्यक्तियों एवं स्थानों के ऊपर प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। सभी क्षेत्राधिकारीगण अपने सर्किल में थानेदानों द्वारा अवैध शराब की बिक्री के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक माह करेंगे। इस दिशा में अच्छे कार्य करने वाले आरक्षीगणों को पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी की संस्तुति पर प्रतिमाह पुरस्कृत भी किया जाये। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्राधिकारी अपने सर्किल में अवैध शराब के विरूद्ध अभियान चलाने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह क्षेत्राधिकारी के द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों की समीक्षा अपराध गोष्ठी में करेंगे तथा उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- अवैध एवं कच्ची शराब के व्यापार की सूचना स्थानीय थाना स्तर पर हर अन्य सम्भव स्रोतों के माध्यम से भी संकलित कर इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही करायी जाये।
- अवैध शराब का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध गैगेस्टर, गुण्डा एवं हिस्ट्रीशीट खोलकर उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
- अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री एक संगठित अपराध है। इस कार्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्षतः संलिप्त पाये जाने पर अवैध शराब के व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर उनके विरूद्ध गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाये तथा अवैध शराब के व्यापार से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही गैगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत भी की जाये।

- जनपद स्तर पर प्रत्येक माह होने वाली अपराध गोष्ठी में जिला आबकारी अधिकारी को भी आमंत्रित किया जाये तथा इस सम्बन्ध में उनसे भी विस्तार से चर्चा कर अवैध मदिरा के रोकथाम हेतु संयुक्त टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करायें।
- अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-60 के अतिरिक्त भादवि की धारा-272 का भी प्रयोग किया जाये, ताकि ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों की शीघ्रता से जमानत न हो सके।
- अवैध शराब की तस्करी में पकड़े गये वाहनों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-72 एवं 73 के अनुसार वाहन को सीज करने की कार्यवाही की जाये।
- संवेदनशील स्थानों/मार्गों पर स्थापित ढाबों पर अवैध शराब की खरीद-बिक्री रोकने हेतु समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग करायी जाये।
- यदि किसी पुलिस कर्मी की अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों से सांठ-गांठ हो तो उनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये।
- अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री के व्यवसाय में संलिप्त व्यक्तियों को इससे होने वाली क्षति तथा दुष्परिणामों के बारे में स्थानीय सम्भ्रान्त नागरिकों एवं स्थानीय पुलिस द्वारा बताया जाये और ऐसा कृत्य न करने के लिए उन्हे प्रोत्साहित किया जाये, ताकि वह ऐसे दुष्कृत्य को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापस आकर जीवन यापन कर सके।

उपरोक्त दिशा-निर्देश आपके मार्गदर्शन के लिए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने जनपद में आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अन्य कदम उठाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय करते हुए अवैध मदिरा के निर्माण/व्यापार की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय
7/2017/16.
(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
5.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।